

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-16/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती छाया कुमारी, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन), अधीक्षक, जे0के0 लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा को उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निम्नानुसार आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र.सं. | दिनांक से | दिनांक तक | अवधि दिवस में | अवकाश का प्रकार |
|---------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 1 | 15.06.2017 | 24.06.2017 | 10 | असाधारण अवकाश |

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुशरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11/3/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-16/2019/321

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, जे0के0 लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर